Seventeenth Loksabha

an>

Title" Need to include Banjara community of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Tribes.

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान हमारे राज्य से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने का मामला बहुत दिनों से केंद्र सरकार में लंबित है। उत्तर प्रदेश का बंजारा समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मानदंडों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इन्हीं कारणों से इस बारे मे राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2013 में ही निर्णय लेकर अपनी प्रबल संस्तुति पत्रांक 1689, दिनांक 8.11.2013 के माध्यम से केंद्र को भेज चुकी है।

यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने के लिए निर्धारित 5 विशेषताओं में से सभी पर बंजारा समुदाय की योग्यता है, जिसका राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध संस्थान, लखनऊ के द्वारा पूरी जांच के बाद सत्यापन किया गया और उसके बाद ही राज्य सरकार ने संस्तुति की। इस बाबत भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय के 2018 के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनाँक 15.3.2019 को समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 717/26-3-2019 से पुनः केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण दे दिया है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने का कार्य किया जाये।

माननीय सभापति : श्री राजू बिष्ट – उपस्थित नहीं।